राजस्थान सरकार

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) चौहटन जिला बाडमेर

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
1.मोहमद गुलाम 2.मोहमद रफी 3. मोहम्मद उर्फ पि. धाध 4.मोलाना 5.चन्ना पि. धिंगाणा 6.मु.धाधली बेवा धिंगाणा जाति मुसलमान, निवासी सुरते की ढाणी, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।	1. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड चौहटन, मु.बाड़मेर। 2.सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौहटन। 3. तहसीलदार चौहटन

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न 28 / 2020

29/09/2020

प्रार्थीगण के वकील श्री जुगतसिंह सोढ़ा ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता की बहस एवं सलंग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीगण के हक में कयारा होता है, अतः जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख तक इस कदर पाबन्द किया जाता है कि तहसील चौहटन के मौजा सुरते की ढाणी (धनाऊ) के खसरा सं. 496 रकबा 77.02 बीघा, खसरा सं. 501 रकबा 01.17 बीघा भूमि पर मौके की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस दिवस 7 में रजि.एड़ी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जावे। स्थगन अहकॉम जारी हो। तलबी अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर एडी. नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 29.10.2020 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर

(फास्ट–ट्रेक),चौहटन

29.10.2020 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थी सं० 2 उपस्थित। विप्रार्थी क्र० 2 व 3 की तलबी होकर नोटिस अदमती प्राप्त, शामिल पत्रावली है। विप्रार्थी क्र० 2 द्वारा जवाब पेश किया। पत्रावली वास्ते शेष तलबी इन्तजार व बहस हेतु पत्रावली आइन्दा दिनांक 19-11-2020 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

19/11/2020 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी ... अन्य कार्यों में व्यस्त हैं, नियत ... होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आइन्दा दिनांक 07/01/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.05.12 16:27:23 IST
Reason: SelfAttested

07/01/2021 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त हैं, नियत इजलास होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आइन्दा दिनांक 18/02/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

Scanned by CamScanner

18/02/21 अदालती पेश हुई। पीठासीन अधिकारी कागज कार्यों मे व्यस्त हैं, पिमल इत्तला रखकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आइन्दा दिनांक 24/02/21 को पेश हो।

24/02/21 अदालती पेश हुई। पीठासीन अधिकारी कागज कार्यों मे व्यस्त हैं, पिमल इत्तला रखकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आइन्दा दिनांक 04/03/21 को पेश हो।

04/03/21 पत्रावली पेश। प्रार्थीगण वकील उपस्थित। विपक्षी सं. 2 व 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं। विपक्षी सं. 01 की तलबी आवश्यक। स्थगन आदेश की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाकर पत्रावली वास्ते तलबी/बहस हेतु दिनांक 15/03/21 को पेश होवे।

15/03/21 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षीगण सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड चौहटन की ओर से अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड चौहटन एवं सहायक अभियन्ता, चौहटन उपस्थित हुए। उपस्थित अधिवक्ता एवं पक्षकारों को सुना गया। प्रार्थीगण वकील ने आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए स्थगन आदेश लगातार जारी रखने [illegible] जिसके संबंध में सा.नि.वि. [illegible] की ओर से उप[illegible] [illegible] किया कि आवेदन का जवाब [illegible] पेश

Cont.....

सुनवाई [illegible]
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड चौहटन

(N.L. Meena)
AEN PWD
Chohtan

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) चौहटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.05.12 16:27:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

ख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया जा चुका है। निवेदन है कि प्रार्थी वकील द्वारा वादग्रस्त भूमि मौजा सुरते की ढाणी (धनाऊ) के खसरा नं. 496, 501 की भूमि पर एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त किया हुआ है। जिसके संबंध प्रार्थीगण वकील ने अपने आवेदन में लिखा है कि विपक्षीगण द्वारा सड़क निर्माण करवाया जा रहा है जबकि विपक्षी द्वारा कोई नई सड़क का निर्माण न करवा कर मार्ग सुदृढ़ीकरण एवं पूर्व के निर्मित सड़क पर डामरीकरण किया जा रहा है। स्थगन आदेश की आड़ में सुरते की ढाणी से धनाऊ सड़क का उक्त कार्य बाधित हो रहा है जिससे इस सड़क से जुड़ने वाले कई गांवों की आम जनता को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मामला जनहित का होने से निवेदन है कि श्रीमान के न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में जारी एकतरफा स्थगन आदेश खारिज किया जावे ताकि सड़क सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण का कार्य पूर्ण करवाया जा सके एवं सार्वजनिक एवं लोकहित के [illegible] आम जन को सुविधा मिल सके। [illegible]	
	अध्ययन/अवलोकन किया [illegible] पक्षकारों की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, जिससे	
	cont....	
	सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौहटन	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.05.12 16:27:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	स्पष्ट होता है कि सा.नि.वि. द्वारा कोई नई सड़क का निर्माण नहीं किया जाकर पूर्व में निर्मित सड़क के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है - चूंकि मामला आम जनहित का होने से मौजा मुरते की ढाणी के खसरा सं. 496 एवं 501 की भूमि के संबंध में जारी एकतरफा स्थगन आदेश खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। लिखाया ते नम हो।
	सहायक कलक्टर (फ़ास्ट्रैक) चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.05.12 16:27:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

।।श्री।।

सेवामें,

श्रीमान् सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) महोदयजी

चौहटन जिला बाड़मेर।

प्रार्थीगण :–

01. मोहमद गुलाम पुत्र धाध

02. मोहमद रफी पुत्र धाध

03. मोहमद उर्फ पुत्र धाध

04. मोलाना पुत्र धिंगाणा

05. चन्गा पुत्र धिंगाणा

06. मु. धाधली बेवा धिंगाणा

जातियान–मुसलमान, निवासी– सुरते की ढ़ाणी,

तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

ब ना म

विप्रार्थीगण :–

राजस्थान सरकार जरिये –

1. अधीक्षण अभियन्ता – सार्वजनिक निर्माण विभाग

खण्ड – चौहटन, मु. बाड़मेर।

2. सहायक अभियन्ता–सार्वजनिक निर्माण विभाग चौहटन

3. श्रीमान तहसीलदार, चौहटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.05.12 16:27:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधिनियम

महोदयजी,

Scanned by CamScanner

महोदयजी,

प्रार्थीगण का निवेदन का इस प्रकार है :–

01. कि प्रार्थीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 रा0का0अधि0 का अदालत हाजा में प्रस्तुत कर दिया गया है, जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है।

02. यह है कि प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत मौजा सुरते की ढ़ाणी पटवार क्षेत्र धनाऊ तहसील चौहटन जिला बाडमेर में खेत खसरा नंबर 496 रकबा 77.02 बीघा, खसरा संख्या 501 रकबा 01.17 बीघा कुल रकबा 78.19 बीघा के आये हुए है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण की रहवासी ढाणियॉ आदि बनी हुए हैं।

03. यह है कि प्रार्थीगण के उपरोक्त खातेदारी खेत के पास कोई कटाण मार्ग स्थित नहीं है।

04. कि विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत में से सड़क निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है। जिससे प्रार्थीगण का पुरा खेत ही सड़क में चला जायेगा और टूकड़ों बंट जायेगा तब इस पर प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण के प्रतिनिधियों के इस कथन पर कड़ा [illegible] ण के प्रतिनिधि बडे नाराज हो गए और ध[illegible] कि अब सडक आपके खेत में से होकर ही निकलेगी। [illegible]प्रार्थी संख्या 1 व 2 के प्रतिनिधि नहीं माने और अपनी हठधर्मिता के चलते व विप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.05.12 16:27:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

के प्रतिनिधि प्रार्थीगण को व्यक्तिगत व आर्थिक रूप से कमजोर करने व उसकी इन खसरान नंबर वाली भूमि के कई छोटे–छोटे टुकडे कर इसकी उपयोगिता खत्म करने हेतु विप्रार्थीगण के प्रतिनिधि प्रार्थीगण के खेत की भूमि में से सडक निकालने पर आमदा है। विप्रार्थीगण असामाजिक तत्वों के दबाव के चलते व अपनी हठधर्मिता के चलते प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि से बेदखल करने हेतु बिना प्रार्थीगण की अनुमति के उसके खेत में अवैध सडक बनाने का आमदा है। जिस हेतु स्थायी निषेधाज्ञा का यह वाद पेश है।

05. यह है कि विप्रार्थीगण को इस बात की सम्पूर्ण जानकारी है कि वादीगण के खेत में से सड़क निर्माण करने का कोई औचित्य नहीं है तथा न ही प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 496 व 501 के बीच पूर्व में कोई कटाण मार्ग है बावजूद इसके गलत व गैर कानूनी प्रक्रिया से ग्राम सुरते की ढ़ाणी खेत खसरा संख्या 496 व 501 में डामर सड़क धनाऊ़ से सुरते की ढ़ाणी आने वाली डामर सड़क को उखाड़कर नई सड़क खातेदारी भूमि के अन्दर पूर्व में चल रहा रास्ता की जगह को छोड़कर प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि में मार्ग [illegible] आमदा विप्रार्थीगण को रोकने हेतु कानून[illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.05.12 16:27:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

06. कि उक्त गैरकानूनी व अवैध तौर से निकाली जा रही सड़क के रूकवाने बाबत् प्रार्थीगण द्वारा श्रीमान उपखंड अधिकारी चौहटन के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त सड़क को रूकवाने का निवेदन किया गया था। श्रीमान के आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार चौहटन द्वारा मौके की जांच हल्का पटवारी व भू.अ. नि. धनाऊ से करवाई गई तथा मौका निरीक्षण कर मौका फर्द बनाई गई जिसमें भी स्पष्ट लिखा गया कि "मौके पर खसरा संख्या 500 के समान्तर 16 जरीब लम्बाई तक गै0मु0 गोवा से एक जरीब दूरी दूरी पर खसरा संख्या 496 के बीच में डामर सड़क बनी हुई है। जहां पर किसी प्रकार का कटाण व सरकारी मार्ग व सड़क राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही है। वर्तमान में उक्त सड़क पर कार्य कर रहे ठेकेदार को खातेदारी खेत में सड़क नही बनाने बाबत् समझाइश की गई।" राजस्व कर्मचारियों के द्वारा समझाइश करने के बावजूद भी विप्रार्थीगण नही माने।

07. यह है कि विप्रार्थीगण जबरन रास्ता बनाने पर आमदा है। भूमि का नाप कर लिया है तथा निर्माण सामग्री डालने की तैयारी में है और प्रार्थीगण को जबरन बेद[illegible] पर आमदा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.05.12 16:27:23 IST
Reason: SelfAttested

08. यह है कि विप्रार्थी[illegible]दारी खेत में से सडक निकालने की कार्यवाही करने पर आमादा है। यदि विप्रार्थीगण अपनी उक्त योजना में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीगण को

Scanned by CamScanner

भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भविष्य में किसी भी कीमत में पूर्ति नहीं हो सकेगी एवं प्रार्थीगण का वाद प्रस्तुत करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। इसलिए प्रार्थीगण विप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि विप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त भूमि से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल नही करे तथा न ही उक्त भूमि में से सड़क बनावे। मौके की यथास्थिति बनाये रखे। जिसके लिये यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

09. कि खातेदार रूकायत पत्नी धाध का देहान्त हो गया है जिसके वारिशान प्रार्थीगण संख्या 1 से 3 है जो रेकर्ड पर है।

10. अन्य वजुहात वक्त बहस अर्ज किए जावेगें।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कि जावे कि मौजा सुरते की ढ़ाणी पटवार क्षेत्र धनाऊ तहसील चौहटन जिला बाडमेर में खेत खसरा नंबर 496 रकबा 77.02 बीघा, खसरा संख्या 501 रकबा 01.17 बीघा कुल रकबा 78.19 बीघा भूमि पर विप्रार्थीगण या उसके प्रतिनिधि किसी प्रकार की क[illegible] या [illegible]की सड़क का निर्माण नहीं करें तथा न ही प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करें एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। शपथ पत्र साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.05.12 16:27:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

।।श्री।।

सेवामें,

श्रीमान् सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) महोदयजी
चौहटन जिला बाड़मेर।

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
मोहमद गुलाम वगैरा		राज0राज्य वगैरा

–:–श प थ–प त्र–:–

मैं मोहमद गुलाम पुत्र धाध जाति मुसलमान निवासी सुरते की ढ़ाणी तहसील चौहटन जिला बाडमेर यह शपथपूर्वक कथन करता हूँ :–

01. कि हमारे द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0का0 अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसमें मैं प्रार्थी हूँ।
02. कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 से 8 तक मेरे निजी ज्ञान व विश्वास से सही व सत्य है।
03. कि मैने इस प्रार्थना पत्र में कोई कथन गलत दर्ज नही करवाया है और नही कोई कथन मेरे द्वारा छिपाया गया है।
04. कि उक्त शपथ पत्र मेरे प्रार्थना पत्र के सर्मथन में प्रस्तुत किया जा रहा है।

इति दिनांक – 25/9/2020 ....

सत्यापन :– कि शपथ पत्र के पद संख्या 1 से 4 तक मेरे निजी ज्ञान व विश्वास से सही एवं सत्य है। अतः ईश्वर मेरी मदद करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.05.12 16:27:23 IST
Reason: SelfAttested

इति दिनांक 25/9/20 ....

Scanned by CamScanner